

समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ

e-mail-meso.seraikella@gmail.com /dwo.seraikella@gmail.com

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ।

पत्रांक-1221/आई0टी0डी0ए0

सेवा में,

सभी प्राचार्य/संस्था प्रधान/प्रधानाध्यापक
सरायकेला-खरसावाँ।

सरायकेला, दिनांक-08/12/2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में पोस्ट मैट्रिक झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति छात्रवृत्ति योजना 2018 के अन्तर्गत ई-कल्याण पोर्टल पर छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाईन किये गये आवेदनों का ससमय त्रुटि का निराकरण करने के संबंध में।

प्रसंग :- कार्यालय पत्रांक-1087/आई0टी0डी0ए0, दिनांक-16.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पोस्ट मैट्रिक झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2018 के प्रावधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं बी0एड0 संस्थानों के वर्ष 2020-21 में जिला अन्तर्गत संस्थान/महाविद्यालयों के द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों का जाँचोपरांत कार्यालय द्वारा विभागीय नियमावली शर्तों के निमित्त पाये गये छात्र-छात्राओं का आवेदन DA_Approval किया गया है एवं जिन छात्र-छात्राओं के द्वारा Document गलत अपलोड किये जाने के कारण छात्रों का DA_Level से Pending कर सही दस्तावेजों को Upload करने हेतु Edit Option विभाग द्वारा खोला गया है।

अतः अनुरोध है कि Da_Level से Pending छात्र-छात्राओं का त्रुटि का निराकरण कर ससमय सही दस्तावेजों को e-kalyan Portal पर अपलोड कराने हेतु अपने स्तर से छात्र-छात्राओं का निदेशित करेगे। Pending से सम्बन्धित त्रुटि का निराकरण छात्र-छात्राओं के द्वारा समय अवधि के अन्दर नहीं होने पर छात्रवृत्ति से वंचित होने पर इसकी सारी जवाबदेही विद्यालय/संस्थान की होगी।

विश्वासभाजन

08/12/21

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

08/12/21